

कार्यालय कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उप-सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक क/ ..... /भू-अर्जन/वा. 1/2014-15/

बुरहानपुर, दिनांक 14.7.16  
ग्र0 50 33182-15.16

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्य नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बुरहानपुर में रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु ग्राम सुल्तानपुरा तहसील एवं जिला बुरहानपुर (म0प्र0) के खाताधारक की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्र0 १२-२/२०१४/सात/२५/भोपाल, दिनांक १२-११-२०१४ के तहत आपसी सहमति से क्य किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

स0 क्र0	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
1.	डॉ रितेश पिता रूपचन्द्र <sup>अग्रवाल</sup> निवासी न्यू आदर्श <sup>कालोनी</sup> , बुरहानपुर <sup>योग :-</sup>	28/3	-	0.202	0.202	
				0.202	0.202	

( जे०पी० आईरिन सिथिया )  
कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, बुरहानपुर